

13.05.25

पत्रावली पेश हुई। TDR वाली  
द्वारा रिपोर्ट पेश की गई।  
प्राची की तरफ से रमेशसिंह  
s/o बाबूसिंह उपस्थित। TDR  
रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रकण  
136 के परिधी में नहीं आने हे  
खारीज योग्य है क्योंकि 1/4  
हिस्से की रजिस्ट्री होने के पश्चात  
जटिल न्यायालयीन आदेश विरासत  
का नामांतरण निश्चय किया गया था  
जिस वजह प्राची ने जिस बंधान

Out process  
2/2

कतर्गि से जमीन खरीदी थी उनका  
हिस्सा  $\frac{1}{8}$  रह गया तथा प्राथमिक  
भी  $\frac{1}{8}$  हिस्सा ही दर्ज हो सकता है।  
तथा प्रकण 136 के अंतर्गत चलने योग्य  
नहीं होने से खरीज किया जाता है।  
पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम

की जावे।

13.05.23

उपखण्ड अधिकारी  
वाली